तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No. 43/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
04.7.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (किसन जाट पुत्र रामेश्वर जी भाट, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म शिव शक्ति आईसक्रीम पार्लर (भरकादेवी), बस स्टेण्ड, रेवदर, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (रतनलाल पुत्र हीरालाल जी जाट, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म शिव शक्ति आईसक्रीम पार्लर (भरकादेवी), बस स्टेण्ड, रेवदर, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 22.9.2023 को फर्म शिव शक्ति आईसक्रीम पार्लर (भरकादेवी), बस स्टेण्ड, रेवदर में प्रतिवादी विक्रेता किसन जाट पुत्र रामेश्वर जी जााट से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ राजभोग आईसक्रीम (काजू, बादाम, अंजीर डाले हुए) का नमूना संख्या S-2212 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2667/Act/2023/2681 दिनांक 12.10.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाये गये, लेकिन प्रतिवादी संख्या–1 (किसन जाट) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 24.6.2024 को प्रतिवादी संख्या–2 (रतनलाल) ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया प्रार्थी के आईसक्रीम की दुकान ग्राम रेवदर में मैसर्स शिव शक्ति आईसक्रम पार्लर भरका देवी के नाम से बस स्टेण्ड में आई हुई है जिसका मैं मालिक हूँ तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मेरी दुकान से मुझ मालिक व नौकर के नाम से नोटिस जारी किये गये है जब फर्म एक ही है व मैं ही उसका मालिक हूँ। किसनलाल जाट मेरी दुकान में नौकरी करता था जो छोड़कर चला गया है। यह कि भरकादेवी कम्पनी बाडोली (गुजरात) से आईसक्रीम सप्लाई होती [illegible] ही आगे ग्राहकों को विक्रय करता हूँ। मेरी [illegible] सेम्पल लेकर आगे एफ.एस.एल. जांच हेतु भेजा गया, [illegible] सब स्टेण्डर्ड पाया गया है जिससे मैं आगे भविष्य में [illegible] से आईसक्रीम क्रय नही करूंगा। अतः लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–2 (रतनलाल) के अनुरोध पर प्रतिवादी रतनलाल को दिनांक ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:10 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 43/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

24.6.2024 को ही सुना गया, जिसने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि यह उसका प्रथम अपराध है व अमानक खाद्य सामग्री विक्रय नही करेगा। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 22.9.2023 को समय 2.00 पी.एम. पर फर्म शिव शक्ति आईसक्रीम पार्लर (भरकादेवी), बस स्टेण्ड़, रेवदर में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान फर्म शिव शक्ति आईसक्रीम पार्लर के अन्दर स्टील की बरनी में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ राजभोग आईसक्रीम (काजू, बादाम, अंजीर डाले हुए) लगभग 3 किलोग्राम में मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ राजभोग आईसक्रीम (काजू, बादाम, अंजीर डाले हुए) में से 800 ग्राम खाद्य पदार्थ राजभोग आईसक्रीम (काजू, बादाम, अंजीर डाले हुए) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय किये एवं खदीदशुदा राजभोग आईसक्रीम (काजू, बादाम, अंजीर डाले हुए) को हिला मिलाकर एकरुप करके चार साफ व खाली सुखी शीशीयों में अलग अलग बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक शीशी में 20–20 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों शीशीयों को ढक्कन से एयर टाइट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार लेबल तैयार कर इन लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता किसन जाट एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा उक्त चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाकर चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् चारों सीलबन्द नमूनों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता किसन जाट एवं गवाह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उन नमूनों को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप सहित नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:10 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय प्रति० जिला परिवारीक सिरोही (राज०)

प्रति. जिला परिवाद्य
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 43/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

दिनांक 04.10.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री सिद्धार्थ, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 23.9.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म शिव शक्ति आईसक्रीम पार्लर (भरकादेवी), बस स्टेण्ड़, रेवदर में प्रतिवादी विक्रेता किसन जाट से खाद्य पदार्थ राजभोग आईसक्रीम (काजू, बादाम, अंजीर डाले हुए) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ राजभोग आईसक्रीम (काजू, बादाम, अंजीर डाले हुए) के नमूना संख्या S-2212 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./2667/Act/2023/2681 दिनांक 12.10.2023 में खाद्य पदार्थ राजभोग आईसक्रीम (काजू, बादाम, अंजीर डाले हुए) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि फर्म शिव शक्ति आईसक्रीम पार्लर (भरकादेवी), बस स्टेण्ड़, रेवदर का प्रोपराईटर प्रतिवादी संख्या–2 (रतनलाल जाट) है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–2 (रतनलाल जाट) की प्रोपराईटरी फर्म शिव शक्ति आईसक्रीम पार्लर (भरकादेवी), बस स्टेण्ड़, रेवदर में प्रतिवादी विक्रेता किसन जाट द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ राजभोग आईसक्रीम (काजू, बादाम, अंजीर डाले हुए) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी रतनलाल, अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ राजभोग आईसक्रीम (काजू, बादाम, अंजीर डाले हुए) हेतु प्रतिवादी रतनलाल जाट पुत्र हीरालाल जी जाट, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म शिव शक्ति आईसक्रीम पार्लर (भरकादेवी), बस स्टेण्ड़, रेवदर, तहसील– रेवदर, जिला–

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय प्रा. जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 43/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी रतनलाल जाट पुत्र हीरालाल जी जाट, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म शिव शक्ति आईसक्रीम पार्लर (भरकादेवी), बस स्टेण्ड़, रेवदर, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 06.8.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:10 IST
Reason: SelfAttested